इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2025-कार्तिक 20, शक 1947

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

क्रमांक। 12990986/2025/22/पं.-1, नियमों का निम्निलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उप-धारा (1) के साथ पिठत धारा 95 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2-5-2009- बाईस-1, दिनांक 29 मार्च, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर नियमों के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपितत या सुझाव पर जो नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध के अवसान पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, प्रमुख सिचव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा विचार किया जाएगा।

### नियमों का प्रारूप अध्याय-एक प्रारंभिक

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्ते) नियम, 2025 है।
- (2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।
- (3) ये नियम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन स्थापित ग्राम पंचायतों के लिए स्वीकृत सचिव के पदों तथा इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लागू होंगे।

### , परिभाषाएँ.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत हैं, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) "वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन" से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथा उल्लिखित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन :

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी:

- (घ) "वास्तविक स्थानीय निवासी" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करने वाला कोई व्यक्तिः
- (ङ) "सीपीसीटी" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणन परीक्षा;
- (च) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, पंचायत राज, मध्य प्रदेश:
- (छ) "संचालनालय" से अभिप्रेत है, पंचायत राज संचालनालय, मध्य प्रदेश;
- (ज) "पात्रता परीक्षा" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा संचालित पात्रता परीक्षा;
- (झ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ञ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ट) "जीआरएस" से अभिप्रेत है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के अंतर्गत क्रियान्वित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ठ) "गृह ग्राम पंचायत" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में उल्लिखित वह ग्राम पंचायत,जिसका कि अभ्यर्थी या ग्राम पंचायत सचिव निवासी है;

(ड) "मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल" से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथा संशोधित मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम, 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) की धारा 1 की उप-धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन भण्डल;

- (ढ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ण) "पंचायत समन्वय अधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश पंचायत राज संचालनालय तृतीय - श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2013, राज्य स्तरीय संवर्ग के अधीन नियुक्त नान-डाइंग कैंडर के पंचायत समन्वय अधिकारी:
- (त) "पंचायत सेवा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 69 और 70 के अधीन यथास्थिति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की सेवा;
- (थ) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है, संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि:
- (द) "रोस्टर" से अभिग्रेत है, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 और मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना या निर्देशों के अनुसार, जिला स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/संवर्गों के लिए जिला स्तर पर संधारित विभिन्न संवर्गों के लिए आरक्षण का रोस्टर:
- (ध) "अनुसूची" से अभिप्रेत हैं, इन नियमों से संलग्नअनुसूची;
- (न) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (प) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (फ) "संवीक्षा एवं चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन गठित संवीक्षा एवं चयन समिति;
- (ब) "सचिव" से अभिप्रेत हैं, अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) के अधीन किसी ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति:
- (भ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
- (म) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वहीं अर्थ होंगे, जैसे कि अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

अध्याय-दो

संवर्ग, पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान

3. संवर्ग.- राज्य के प्रत्येक जिले में, जिला स्तर पर, सचिवों का एक संवर्ग होगा।

4. पदों <mark>की संख्या</mark>. -

(1) सचिव के पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।

(2) सचिव के पदों की संख्या किसी जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के बराबर होगी: परन्तु राज्य सरकार, आवश्यकतानुसार, पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकेगी।

5. स्तर-दो तथा स्तर-तीन हेतु वर्गीकरण, वेतनमान एवं पात्रता . -

(1) वर्गीकरण एवं वेतनमान - सचिव के पद का वर्गीकरण एवं वेतनमान अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

(2) स्तर-दो के वेतनमान हेतु पात्रता- अनुसूची-दो के स्तर-दो में उल्लिखित वेतनमान हेतु पात्रता के मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

(एक) किन्ही दो वर्षों में से किसी भी वर्ष का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अच्छी श्रेणी से कम नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित नहीं की गई हो;

(तीन) यदि कोई लघु शास्ति अधिरोपित की गई हो, तो वह प्रभावशील नहीं होनी चाहिए:

(चार) यदि कोई लघु शास्ति प्रभावशील हो, तो स्तर-एक के वेतनमान की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी जाएगी और स्तर-दो के वेतनमान के लिए पात्रता पर इस विस्तारित अवधि के बाद विचार किया जाएगा, परन्तु यह केवल एक बार ही किया जा सकेगा।

(3) स्तर-तीन के वेतनमान हेतु पात्रता-अनुसूची-दो के स्तर-तीन में उल्लिखित

वेतनमान हेतु पात्रता के मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

(एक) सचिवों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का वर्गीकरण अंकों में निर्धारित किया जाएगा, इसके लिए, उत्कृष्ट (क+) श्रेणी के लिए चार अंक, बहुत अच्छा (क) श्रेणी के लिए तीन अंक, अच्छा (ख) श्रेणी के लिए दो अंक, औसत (ग) श्रेणी के लिए एक अंक तथा औसत से नीचे की श्रेणी के लिए शून्य अंक निर्धारित किए जाएंगे;

(दो) सचिव द्वारा स्तर-तीन के वेतनमान हेतु अपेक्षित अवधि पूर्ण करने की तारीख से पिछले पांच वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर पात्रता हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 12 होंगे;

(तीन) यदि उपर्युक्त पांच वर्षों में से अधिकतम दो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन किसी कारणवश उपलब्ध न हों, तो दो ठीक पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों को विचार में लिया जा सकेगा, किन्तु अईकारी सेवा अविध के

अंतिम दो वर्षों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अनिवार्य होगा;

(चार) कोई सचिव, जो उप-नियम (3) के खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार पात्र नहीं पाया जाता है, वह पात्रता अर्जित करने तक स्तर-दो के वेतनमान में कार्य करता रहेगा, ऐसा सचिव, यदि संवीक्षा समिति द्वारा अपनी अगली बैठक में पात्र पाया जाता है, तो स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से स्तर-तीन वेतनमान का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य होगा।

(4) संवीक्षा समिति.-

(एक) उप-नियम (2) एवं (3) में उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार, स्तर-दो एवं स्तर-तीन वेतनमान की अनुशंसा करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करने वाली एक संवीक्षा समिति होगी-

 अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - अध्यक्ष (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य समकक्ष अधिकारी)

2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक - सदस्य अधिकारी,जो द्वितीय श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का हो (कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट)

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सदस्य सचिव (जिसके अधीनस्थ सचिवों के संबंध में वेतनमान हेतु विचार किया जाना है)
- (दो) स्क्रीनिंग समिति अपनी अनुशंसाएँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगी, जो यथास्थिति, स्तर-दो एवं स्तर-तीन वेतनमान हेतु स्वीकृति आदेश जारी करेगा।

(तीन) स्क्रीनिंग समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में आयोजित की जाएगी।

# अध्याय-तीन भर्ती

### 6. पात्रता. -

(1) कोई अभ्यर्थी -

(क) जिसकी शैक्षणिक अर्हताएं और आयु अनुसूची-तीन के अनुसार हो; और

(ख) जो मध्य प्रदेश का वास्तविक स्थानीय निवासी हो;

सचिव के पद के लिए पात्र होगा, किन्तु –

(एक) कोई अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो;

(दो) जिसने राज्य सरकार द्वारा विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु के पर्व विवाह कर लिया हो;

(तीन) जिसे नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो;

(चार) जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो;

(पाँच जिसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया गया हो;

(छह) जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम या किसी सरकारी सहायता प्राप्त निकाय का कर्मचारी हो और भर्ती के लिए अपने आवेदन के साथ अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है,

सचिव के पद के लिए पात्र नहीं होगा।

### 7. आरक्ष**ण**.-

(1) मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जातियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए विहित आरक्षण संबंधी जारी नियम, अधिसूचनाएँ और निर्देश जो तत्समय प्रवृत्त हों, भर्ती के लिए लागू होंगे।

(2) जातियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए आरक्षण का रोस्टर जिला पंचायत कार्यालय में

संधारित किया जाएगा।

8. ग्राम रोजगार सहायकों के लिए कोटा.- सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध, प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में रिक्त पदों का 50 प्रतिशत कोटा, पात्र ग्राम रोजगार सहायकों से भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा और कोई ग्राम रोजगार सहायक -

(एक) जो सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का इच्छुक हो;

(दो) जिसने ग्राम रोजगार सहायक के रूप में पाँच वर्ष की सेवा बिना किसी सेवा व्यवधान के सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो;

(तीन) जिसके विरुद्ध, उसकी नियुक्ति के संबंध में कोई मामला या विवाद लंबित न हो और किसी भी राशि का कोई जुर्माना या वसूली अधिरोपित नहीं की गई हो:

(चार) जिसकी शैक्षणिक आईताएं और आयु अनुसूची-तीन के अनुसार हो;

सचिव के पद के लिए पात्र होगा।

9. ग्राम रोजगार सहायकों के कोटे की अन्य अभ्यर्थियों से पूर्ति.- ग्राम रोजगार सहायकों के लिए निर्धारित कोटे के अधीन किसी आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता की दशा में, शेष रिक्तियां खुली (ओपन) रखी जाएंगी और उसी श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से, जिन्होंने नियम 7 के अधीन आवेदन किया है, भरी जाएंगी।

10. ग्राम रोजगार सहायकों के लिए पात्रता परीक्षा.- नियम 9 में उल्लिखित कोटे के अधीन आवेदन करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को नियम 11 के उप नियम (1) के खण्ड (तीन) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना तथा भर्ती के लिए इन नियमों में अधिकथित अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुजरना

अनिवार्य होगा।

11. प्रक्रिया.- सचिव के पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी;

(1) रिक्तियां एवं पात्रता परीक्षा- भर्ती, जिला स्तर पर, निम्नलिखित प्रक्रिया के

अनुसार होगी:-

- (एक) जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भर्ती वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में, अपने जिले में सचिवों के रिक्त पदों की सूचना, रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार, संचालनालय को भेजेंगे। यह जानकारी भर्ती वर्ष की 10 जनवरी तक कर्मचारी चयन मण्डल को संबोधित मांगपत्र के साथ संचालनालय को भेजी जाएगी;
- (दो) संचालनालय, नियम 11 के उप नियम (1) के खण्ड (एक) के अनुसार प्राप्त जानकारी और मांगपत्र को संकलित करेगा और भर्ती वर्ष की 15 जनवरी तक उसे कर्मचारी चयन मण्डल को अग्रेषित करेगा। संचालनालय, इन नियमों की एक प्रति कर्मचारी चयन मण्डल को भी भेजेगा;
- (तीन) कर्मचारी चयन मण्डल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा;
- (चार) पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर, कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की जिलावार और श्रेणीवार योग्यता सूचियां तैयार की जाएंगी। कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा रिक्त पदों की संख्या के 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी योग्यता सूची के अनुसार तैयार की जाएंगी;

(पांच) कर्मचारी चयन मण्डल नियम 11 के उप नियम (1) के खण्ड (चार) के अनुसार तैयार की गई योग्यता सूचियां, अभ्यर्थियों से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ संचालनालय को प्रस्तुत करेगा। संचालक इन सूचियों और दस्तावेजों को संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अग्रेषित करेगाः

परन्तु इन नियमों की अधिसूचना जारी होते ही, राज्य सरकार, द्वारा प्रथम बार की भर्ती के लिए, नियम 11 के उप नियम (1) में उल्लिखित

गतिविधियों के लिए समय-सीमाएं अधिस्चित की जाएंगी।

(2) संवीक्षा एवं चयन समिति - संचालनालय से प्राप्त दस्तावेजों एवं योग्यता सूची की संवीक्षा के लिए तथा नियुक्ति किए जाने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा के लिए प्रत्येक जिले में एक संवीक्षा एवं चयन समिति होगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,-(एक) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

(दो) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलक्टर या संयुक्त कलक्टर या - सदस्य अपर कलक्टर

(तीन) अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग), उसकी अनुपस्थिति में कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रथम श्रेणी अधिकारी

(चार) कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट द्वितीय श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक अधिकारी,

(3) संवीक्षा एवं चयन समिति के कर्तव्य - संवीक्षा एवं चयन समिति के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे:-

(एक) संचालनालय से प्राप्त दस्तावेजों और योग्यता सूची की संवीक्षा करना;

नियुक्ति किए जाने वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा करना;

(तीन) ग्राम पंचायतों में नियुक्ति एवं पदस्थापना हेतु अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करना;

(चार) उस ग्राम पंचायत की अनुशंसा करना जिसमें चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना की जानी है।

(पांच) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो समिति उस अभ्यर्थी को प्राथमिकता देगी, जिसकी आयु अन्य अभ्यर्थी से अधिक है। यदि अभ्यर्थियों की आयुं भी समान है, तो सीपीसीटी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी:

(छह) समिति, किसी भी अभ्यर्थी की उसकी गृह ग्राम पंचायत में नियुक्ति या

पदस्थापना की अनुशंसा नहीं करेगी।

# 12. नियुक्ति एवं पदस्थापना . -

(1) नियुक्ति -

(एक) सचिव के पद हेतु जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होगाः

(दो) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवीक्षा एवं चयन समिति द्वारा चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त करेगा।

(2) पदस्थापना - जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालनअधिकारी, इस प्रकार

नियुक्त अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत में पदस्थापित करेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को उसकी गृह ग्राम पंचायत में पदस्थापित नहीं किया जाएगा।

# अध्याय-चार प्रशिक्षण

13. प्रशिक्षण.-

(1) नियम 12 के अधीन नियुक्त सचिवों के लिए पंचायत सेवा से संबंधित उन्मुखीकरण एवं आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) उन्मुखीकरण एवं आधारभूत प्रशिक्षण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन

अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(3) सभी सचिवों को राज्य सरकार एवं संबंधित पंचायत द्वारा समय-समय पर आयोजित पुनश्चर्या एवं अन्य प्रशिक्षणों में भाग लेना आवश्यक होगा।

# अध्याय-पांच शक्तियाँ एवं कृत्य

14. शक्तियाँ एवं कृत्य.- सचिव, मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियाँ तथा कृत्य) नियम, 1999 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करेगा।

# अध्याय-छह अनुशासन एवं नियंत्रण

15. अनुशासन.- सचिव पर मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 लागू होंगे।

16. आचरण.- सचिव पर मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 लागू होंगे।

17. नियंत्रण.-

(1) सचिव अपने क्रियाकलापों के लिए ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से जनपद पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा।

(2) ग्राम पंचायत के विधिमान्य संकल्प तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विधिमान्य आदेश या निर्देशों का

पालन न करना सचिव का कदाचार माना जाएगा।

# अध्याय-सात अभिलेखों का संधारण और सेवा की शर्तें

18. सेवा पुस्तिका.-

(1) प्रत्येक सचिव की सेवा पुस्तिका तथा अन्य व्यक्तिगत सेवा अभिलेख सम्यक रूप से संधारित किए जाएँगे और उस जनपद पंचायत के कार्यालय में रखे जाएँगे, जिसका उस ग्राम पंचायत पर क्षेत्राधिकार है, जहाँ कि सचिव पदस्थ है।

(2) किसी सचिव की सेवा पुस्तिका और अन्य व्यक्तिगत सेवा अभिलेखों में अन्य अपेक्षित जानकारी के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारियां अंतर्विष्ट होंगी:-

- (एक) नाम, पदनाम, माता और पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पिति/पत्नी का नाम, स्थायी पता और संपर्क का पता;
- (दो) सचिव का एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का छायाचित्र, जो कि सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा। सचिव के अन्य छायाचित्र, 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् और सेवानिवृत्ति की तिथि से 12 माह पूर्व चिपकाए जाएंगे;
- (तीन) शैक्षणिक अर्हताओं, जन्मतिथि, जाति की श्रेणी, आधार और समग्र पहचान पत्र से संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां;
- (चार) परिवार का विवरण, प्रत्येक सदस्य से संबंध सहित;
- (पांच) विधिक उत्तराधिकारियों का नामनिर्देशन;
- (छह) स्वामित्वाधीन अचल संपत्ति का विवरण;
- (सात) दिव्यांगता के प्रकार के संबंध में जानकारी और प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति, यदि सचिव दिव्यांग है;
- (आठ) गृह ग्राम पंचायत का नाम;
- (नौ) चिकित्सा परीक्षण प्रमाण पत्र;
- (दस) चरित्र प्रमाण पत्र और पूर्ववृत्त;

(ग्यारह) अवकाश का लेखा;

(बारह) अंशदायी पेंशन योजना के अभिलेख।

19. पदक्रम सूची.-

(1) एक पदक्रम सूची संधारित की जाएगी, जिसमें सचिवों के नाम वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित किए जाएँगे।

(2) पदक्रम सूची जिला पंचायत कार्यालय में संधारित की जाएगी।

(3) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उनके जिले में पदस्थ सचिवों की पदक्रम सूची, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को संचालक द्वारा विहित प्ररूप में प्रकाशित करेंगे।

20. अवकाश.- इन नियमों के अधीन सचिव के रूप में भर्ती या नियुक्त किया गया कोई भी अभ्यर्थी नीचे उल्लिखित किए गए अनुसार अवकाश प्राप्त करने का पात्र होगा:-

(1) आकस्मिक अवकाश.-

(एक) सचिव एक कैलेंडर वर्ष के दौरान तेरह दिनों के आकस्मिक अवकाश के लिए हकदार होगा;

(दो ) महिला सचिव एक कैलेंडर वर्ष के दौरान बीस दिनों के आकस्मिक अवकाश

के लिए हकदार होगी;

- (तीन) आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी उस ग्राम पंचायत का सरपंच होगा, जिसमें कि सचिव पदस्थ है;
- (चार) अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी, यदि वह लोकहित में आवश्यक समझे तो, किसी भी समय अवकाश को अस्वीकार या निरस्त कर सकेगा;
- (पांच) आकस्मिक अवकाश के आवेदन की एक प्रति सचिव द्वारा संबंधित जनपद पंचायत को दी जाएगी।

## (2) अन्य अवकाश.-

- (एक) सचिव के रूप में नियुक्त कोई भी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के अनुसार अवकाश प्राप्त करने का पात्र होगा;
- (दो) एक बार में 30 दिन तक और एक वर्ष में 45 दिन तक का अवकाश जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा;
- (तीन) एक बार में 30 दिन से अधिक और एक वर्ष में 45 दिन से अधिक का अवकाश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जाएगा;
- (चार) नियम 20 के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) एवं (तीन) में उल्लिखित अवकाश हेतु आवेदन यथास्थिति, जनपद पंचायत के मुख्य कायर्पालन अधिकारी

अथवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायत आवेदन को आगे कारवाई हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अग्रेषित करेगी।

21. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन.-

(1) सचिव के कार्य-निष्पादन, आचरण और अन्य गुणों के मूल्यांकन हेतु वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

(2) किसी सचिव के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाएगा और यह मूल्यांकन उसके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का एक भाग होगा।

(3) किसी सचिव का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उसके कार्य-निष्पादन के आधार पर प्रतिवर्ष लिखा जाएगा।

- (4) जब कोई सचिव एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक ग्राम पंचायतों में पदस्थ रहा हो, तो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन हेतु मूल्यांकन, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जिनमें वह तीन माह से अधिक के लिए पदस्थ रहा हो, उसके कार्य निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।
- (5) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया और समय-सारिणी अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।
- (6) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन इन नियमों से संलग्न प्ररूप में लिखा जाएगा।

22. त्यागपत्र . - सचिव, -

- (एक) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर; या
- (दो) सुसंगत मद में एक माह का वेतन जमा कराकर,

अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

ऊपर उल्लिखित दोनों ही स्थितियों में उसे अपने त्यागपत्र की इच्छा के बारे में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित रूप मैं सूचित करना होगा।

### 23.अधिवार्षिकी.-

- (1) सचिव की अधिवार्षिकी आयु बासठ वर्ष होगी।
- (2) प्रत्येक सचिव उस माह के अंतिम दिन की दोपहर के बाद सेवानिवृत्त होगा, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है:

परन्तु कोई सचिव जिस की जन्मतिथि किसी माह की पहली तारीख है, वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन की दोपहर के पश्चात् सेवानिवृत्त होगा। 24. सचिव का पद रिक्त होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था.-

यदि कोई ऐसी ग्राम पंचायत है. जहाँ सचिव का पद रिक्त है. तो ऐसे रिक्त पद का प्रभार धारा 69 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त उसी ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को दिया जा सकेगा, किन्तु यदि ऐसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 या उससे अधिक है. तो रिक्त पद का प्रभार. उस पंचायत समन्वय अधिकारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र के अधीन ऐसी ग्राम पंचायत आती है, दिया जा सकेगा।

### अध्याय-आठ विविध

25. राज्य सरकार की शक्तियों का अभिभावी होना . - इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति में, जो कि उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की राज्य सरकार की शक्ति को सीमित या न्यून करती है।

26. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

27. निरसन तथा व्यावृत्ति.-मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 एतद्दवारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 के अधीन जारी किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची – एक [नियम 4 (1) देखिए] पदों की संख्या

	पदा का संख्या	31 D
अनुक्रमांक	जिले का नाम	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	आगर मालवा	236
		288
2.	अलीराजपुर	
3.	अनूपपुर	277
4.	अशोकनगर	328
5.	बालाघाट	690
6.	बड़वानी	409
7.	बैतूल	534
8.	ਮਿੰਤ	439
9.	भोपाल	222
10.	बुरहानपुर	167
11.	छतरपुर	559
12.	छिंदवाड़ा	790
13,	दमोह	460
14.	दतिया	290
15.	देवास	496
16.	धार	763
17.	डिंडोरी	364
18.	गुना	419

19.	ग्वालियर	421
20.	हरदा	263
21.	इंदौर	220
22.	जबलपुर	334
23,	झाबुआ	527
24.	कटनी	375
25.	खंडवा	407
26.	खरगोन	589
27.	<b>मंडला</b>	490
28.	मन्दसौर	468
29.	मुरैना	476
30.	नर्मदापुरम	427
31.	नरसिंहपुर	450
32.	नीमच	243
33.	निवाड़ी	136
34.	पन्ना	386
35.	रायसेन	521
36.	राजगढ़	622
37.	रतलाम	419
38.	रीवा	820
39.	सागर	765
40.	सतना	695

41.	सीहोर	542
42.	सिवनी	635
43.	शहडोल	390
44.	शाजापुर	352
45.	श्योपुर .	236
46.	शिवपुरी	587
47.	सीधी	400
48.	सिंगरौली	316
49.	टीकमगढ़	324
50.	उर्जैन	609
51.	उमरिया	236
52.	विदिशा	577
	कुल योग	23011

# अनुसूची — दो [नियम 5(1), (2), (3) तथा (4) देखिए] वर्गीकरण एवं वेतनमान

अनुक्रमांक वर्गीकर		करण	वेतनमान का स्तर	वेतनमान
	पद	स्तर		(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सचिव	स्तर-एक	सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की सेवा पूरी होने तक या नियम 6के उप- नियम (2) के खण्ड (चार) के अनुसार विस्तारित अवधि तक।	(निश्चित वेतन)
2.	NA THE TANK	स्तर-दो	दो वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात् या नियम 6 के उप- नियम (2) के खण्ड (चार) के अनुसार विस्तारित अवधि पूरी होने के पश्चात्।	(सातवाँ वेतनमान)
3.		स्तर-तीन	दस वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात् और नियम ह के उप-नियम (3) वे अनुसार पात्रता परा।	(सातवाँ वेतनमान)

# अनुसूची – तीन [नियम 6 (1)(क) देखिए] शैक्षणिक आईता और आयु

अनुक्रमांक	पद	शैक्षणिक आईता	आयु
(1)	(2)	(3)	(4)
	सचिव, ग्राम पंचायत	(क) (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (दो) कम्प्यूटर दक्षता में अर्ह एवं सीपीसीटी में हिन्दी टंकण (ख) यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जीआरएस के पद पर नियुक्त किया गया है - (एक) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश से हायर सेकेंडरी (10+2) उत्तीर्ण, और; (दो) कम्प्यूटर दक्षता में अर्ह एवं सीपीसीटी में हिन्दी टंकण। (ग) यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पश्चात् जीआरएस के पद पर नियुक्त हुआ है - (एक) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि (दो) कम्प्यूटर दक्षता में अर्ह एवं सीपीसीटी में हिन्दी टंकण।	का 21 वष स 35 पप के बीच। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और मिहला अध्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना और निर्देश/नियमों के अनुसार होगी।  (ख) जीआरएस कोटे से

अनुसूची – चार [नियम 21(5) देखिए] वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्रक्रिया और समय-सारिणी

अनुक्रमांक	कार्रवाई की प्रकृति	वह तारीख जिस तक पूर्ण की जानी है, वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए
(1)	(2)	(3)
1.	सभी सचिवों को रिक्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्ररूपों का वितरण	30 अप्रैल
2.	सचिव द्वारा प्रतिवेदक प्राधिकारी को स्व- मूल्यांकन की प्रस्तुती	30 जून
3.	प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा प्राधिकारी को प्रतिवेदन की प्रस्तुती	31 अगस्त
4.	समीक्षा प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्राधिकारी को प्रतिवेदन की प्रस्तुती	30 सितंबर
5.	मंजूरी प्राधिकारी की टिप्पणियाँ	30 नवंबर

## प्ररूप [ नियम 21 (6) देखिए ]

# ग्राम पंचायत सचिव का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन

दिनांकमाहवर्षको र	समाप्त होने वाले वर्ष के लिए।
-------------------	-------------------------------

### भाग - एक ( ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्व-मूल्यांकन )

- 1. नाम:
- 2. पदनाम:
- 3. ग्राम पंचायत का नाम:
- 4. वित्तीय वर्ष में कार्यकाल की अवधि:
- 5. जनपद पंचायत का नाम :
- 6. निश्चित वेतन / वेतनमान:
- 7. ग्राम पंचायत की वित्तीय प्रगति:

(राशि लाख रूपये में)

प्राप्त आबंटन	प्राप्त आबंदन के विरूद्ध व्यय	व्यय का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)

ग्राम पंचायत हेतु निर्धारित योजनावार लक्ष्य एवं उपलब्धियां -

(राशि लाख रूपये में)

अनुक्रमांक	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	अर्जित उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	अर्जित उपलब्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		45000		12 12 2	
2.					-
3.					

5.		
9. करारोपण एवं करो की वस्	्ली की स्थिति-	
(एक). संपत्ति कर - संपत्ति कर से लक्ष्यित अ	ा <b>य</b> (ऋपरो) अर्जित	
आय (रूपये)		
	लक्ष्य एवं अर्जित आय के विवरण के साथ करों के नाम	
का उल्लेख करें)-		
***************************************		
10. ग्राम पंचायत के सम्मिलन -	- स अथवा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज	
यथा साम्मराग प्रस्पक मार	त जाववा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्पराण	
	Al A	
	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं	
अधिनियम, 1993 (क्रमां अनुसार	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं	
अधिनियम, 1993 (क्रमां अनुसार 11. ग्राम पंचायत के लेखाओं	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं की संपरीक्षा-	
अधिनियम, 1993 (क्रमां अनुसार 11. ग्राम पंचायत के लेखाओं (एक) क्या गत वित्तीय वर्ष र	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं की संपरीक्षा- की संपरीक्षा पूर्ण कर ली गई है ?- हां / नहीं	
अधिनियम, 1993 (क्रमां अनुसार 11. ग्राम पंचायत के लेखाओं (एक) क्या गत वित्तीय वर्ष व (दो) क्या गत वित्तीय वर्ष अवधि के भीतर पूर्ण	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं की संपरीक्षा- की संपरीक्षा पूर्ण कर ली गई है ?- हां / नहीं की संपरीक्षा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित कराई गई ? हॉ/नहीं	
अधिनियम, 1993 (क्रमां अनुसार 11. ग्राम पंचायत के लेखाओं (एक) क्या गत वित्तीय वर्ष (दो) क्या गत वित्तीय वर्ष अवधि के भीतर पूर्ण (तीन) यदि गत वित्तीय वर्ष वे	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं की संपरीक्षा- की संपरीक्षा- की संपरीक्षा पूर्ण कर ली गई है ?- हां / नहीं की संपरीक्षा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित कराई गई ? हॉ/नहीं कराई गई ? हॉ/नहीं कराई गई ? हॉ/नहीं कराई संपरीक्षा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित अविध	
अधिनियम, 1993 (क्रमां अनुसार 11. ग्राम पंचायत के लेखाओं (एक) क्या गत वित्तीय वर्ष (दो) क्या गत वित्तीय वर्ष अवधि के भीतर पूर्ण (तीन) यदि गत वित्तीय वर्ष वे	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं की संपरीक्षा- की संपरीक्षा पूर्ण कर ली गई है ?- हां / नहीं की संपरीक्षा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित कराई गई ? हॉ/नहीं	
अधिनियम, 1993 (क्रमां अनुसार 11. ग्राम पंचायत के लेखाओं (एक) क्या गत वित्तीय वर्ष (दो) क्या गत वित्तीय वर्ष अवधि के भीतर पूर्ण (तीन) यदि गत वित्तीय वर्ष वे	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं की संपरीक्षा- की संपरीक्षा- की संपरीक्षा पूर्ण कर ली गई है ?- हां / नहीं की संपरीक्षा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित कराई गई ? हॉ/नहीं के संपरीक्षा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित अविध की गई है। तो ऐसा नहीं करने का कारण-	
अधिनियम, 1993 (क्रमां अनुसार 11. ग्राम पंचायत के लेखाओं (एक) क्या गत वित्तीय वर्ष (दो) क्या गत वित्तीय वर्ष अवधि के भीतर पूर्ण (तीन) यदि गत वित्तीय वर्ष वे के भीतर पूर्ण नहीं	क 1 सन् 1994) की धारा 44 की उप-धारा (4) के बुलाए गए हैं की संपरीक्षा- की संपरीक्षा- की संपरीक्षा पूर्ण कर ली गई है ?- हां / नहीं की संपरीक्षा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित कराई गई ? हॉ/नहीं कर संपरीक्षा निर्धारित तारीख पर अथवा निर्धारित अविधि की गई है। तो ऐसा नहीं करने का कारण-	

# 12. ग्राम पंचायत के बजट की स्थिति-

- (1) क्या बजट समय पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है ?—
- (2) क्या ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (वार्षिक लेखा तथा प्रशासन रिपोर्ट) नियम, 1998 के अनुसार निर्धारित तारीख तक अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष रखी गई है ? –

(3)	क्या वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट ग्राग सभा के वार्षिक सम्मलन म
(4)	रखी गई है ? - क्या वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट निर्धारित तारीख तक विहित
13.	प्राधिकारी और संबंधित जनपद पंचायत को प्रस्तुत की गई है ? - असाधारण अथवा उल्लेखनीय कार्य / पुरस्कार आदि का संक्षिप्त विवरण
 14. भा	I – एक के संदर्भ में लक्ष्यों/उद्देश्यों की पूर्ति में यदि कोई कठिनाई (बाधा) हो ,
तो उ	उस पर टीप –
**********	
***********	
स्थान	सचिव का नाम एवं जनपद पंचायत
दिनांव	ज् हस्ताक्षर जिला
	ग्राम पंचायत

# भाग-दो (प्रतिवेदक प्राधिकारी / सरपंच की टिप्पणी )

- 1. सचिव द्वारा भरे गये भाग -एक पर सहमति के संबंध में टीप :
- 2. व्यक्तित्व एवं व्यवहार:
- 3. आम जनता के साथ संबंध :
- 4. पदधारियों एवं पंचायत सेवकों/कृत्यकारियों के साथ संबंध :
- 5. कम्प्यूटर का ज्ञान:
- 6. ग्राम सभा के सम्मिलन हेतु गणपूर्ति के लिए किए गए प्रयास:
- 7. वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी और प्रतिवेदन की नियमित और समय पर प्रस्तुती संबंधी टीप

***********	
	TAMAMATAN CONTROL OF THE PARTY
८. सन्निष्ठा-	
22227777777777777	***************************************
*************	
9. श्रेणीकरण : /औसत से व	- उत्कृष्ट (क+) /बहुत अच्छा (क) / अच्छा (ख) /औसत (ग) रुम (घ)
	(उत्कृष्ट श्रेणीकरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि
	असाधारण गुणवत्ता और कार्य निष्पादन न देखा गया हो, ऐसे
	श्रेणीकरण का आधार भी स्पष्ट रूप से कथित जाना चाहिए)
************	
***************************************	
स्थान	
हस्ताक्षर	
नाम	
दिनांक	
यकांच काल सं रूप	
सरपंच ग्राम पंचायत	······································
पदमुद्रा	4.
	भाग-तीन
त्समीक्षा पाधिकारी	/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की टिप्पणी)
101	
स्थान	***************************************
दिनांक	***************************************
	हस्ताक्षर
	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद
	पंचायत का नाम
	***************************************
	पदमुद्रा

### भाग-चार

(मंजूरी प्राधिकारी / मुख्य कार	र्पालन अधिकारी, जिला पंचायत का विध्याणा)
स्थान	
	300
दिनांक	
	हस्ताक्षर
	min.
	मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम
	जिला पंचायत
	पदमुद्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हृदयेश कुमार श्रीवास्तव, उप सचिव.

Bhopal, the 11th November, 2025

No. R-2990986/2025/22/P-1, The following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (1) of section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and in supersession of this department's Notification No. 2-5-2009-XXII-1, dated 29th March, 2011 is hereby published as required by sub-section (3) of section 95 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of rules shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.

#### DRAFT OF RULES

### CHAPTER-I

#### PRILIMINARY

### 1. Short title, extent and application.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Panchayat Services (Gram Panchayat Secretary Recruitment, Discipline and Conditions of Service) Rules, 2025.
- (2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) These rules shall be applicable to the posts of Secretary sanctioned for Gram Panchayats established under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) and on every person who is holding the post of Gram Panchayat Secretary under this Act.

#### 2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994);
  - (b) "Annual Confidential Report" means the annual confidential report as mentioned in these rules;
  - (c) "Appointing Authority" means the Chief Executive
    Officer of the Zila Panchayat;

- (d) "Bonafide Local Resident" means a person having bonafide local resident certificate issued by the competent authority;
- (e) "CPCT" means Computer Proficiency Certification Test organized by the Government of Madhya Pradesh, Science and Technology Department;
- (I) "Director" means the Director Panchayat Raj, Madhya Pradesh;
- (g) "Directorate" means the Directorate of Panchayat Raj, Madhya Pradesh;
- (h) "Eligibility Test" means the eligibility test conducted by the Madhya Pradesh Employees Selection Board;
- (i) "Form" means form appended to these rules;
- (j) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (k) "GRS" means a person appointed as Gram Rojgar Sahayak in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Madhya Pradesh implemented under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);
- (l) "Home Gram Panchayat" means the Gram
  Panchayat mentioned in the bonafide local
  resident certificate, issued by the competent
  authority, of which the candidate or Gram
  Panchayat Secretary is a resident;

- (m) "Madhya Pradesh Employees Selection Board" means the Madhya Pradesh Employees Selection Board as specified in sub-section (1) of section 1 of the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal Adhiniyam, 2007 (No. 24 of 2007), as amended from time to time;
- (n) "Other backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
- (o) "Panchayat Co-ordination Officer" means
  Panchayat Co-ordination Officer of non-dying
  cadre appointed under the Madhya Pradesh
  Panchayat Raj Sanchalnalaya Class-III
  (Executive) Service Recruitment Rules, 2013,
  State level cadre;
- (p) "Panchayat Service" means the service of the Gram Panchayat, Janapad Panchayat or Zila Panchayat, as the case may be under section 69 and 70 of the Act;
- (q) "Recruitment Year" means the period from 1st January to 31st December of the year concerned:
- (r) "Roster" means a roster of reservation for different categories of castes maintained at District level, according to the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit

Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998 and notification or instructions issued in this behalf by the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department from time to time, for the posts/cadres to be filled by Direct Recruitment at District level;

- (s) "Schedule" means the schedules appended to these rules;
- (t) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (u) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (v) "Scrutiny and Selection Committee" means Scrutiny and selection committee constituted under these rules;
- (w) "Secretary" means a person appointed as a Secretary of a Gram Panchayat under sub-section
   (1) of section 69 of the Act;
- (x) "Section" means a section of the Act;
- (y) "State" means the State of Madhya Pradesh.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

### CHAPTER-II

# CADRE, NUMBER OF POSTS, CLASSIFICATION AND PAY SCALE

- 3. Cadre.- There shall be a cadre of Secretaries, at District level, in each District of the State.
- 4. Number of Posts.-
  - (1) The number of posts of the Secretary shall be as specified in Schedule-I.
  - (2) The number of posts of the Secretary shall be equal to the number of Gram Panchayats in a District:

Provided that the State Government may change the number of posts, as per need.

- 5. Classification, pay scale, eligibility for level-II and level-III.-
  - Classification and Pay Scale- The Classification and pay-scale of the post of Secretary shall be, as specified in Schedule-II.
  - (2) Eligibility for level-II Pay Scale- The criteria of eligibility, for the pay scale mentioned in level-II of Schedule-II shall be as follows:-
    - (i) Annual Confidential Report of any of the two years must not be less than good category;

- (ii) no major penalty has been imposed;
- (iii) if a minor penalty has been imposed, it must not be in force:
- (iv) if any minor penalty is in force, the period of level-I pay scale shall be extended by one year and the eligibility for level-II pay scale shall be considered after this extended period, but this may be done only once.
- (3) Eligibility for level-III Pay Scale-The criteria for eligibility, for the pay scale mentioned in Stage-III of Schedule-II shall be as follows:-
  - (i) the classification of the Annual Confidential Report's of Secretaries shall be determined in figures, for this, four marks for excellent (A+) category, three marks for very good (A) category, two marks for good (B) category, one mark for average (C) category and Zero mark for the category below average shall be fixed;
  - (ii) based on overall evaluation of the Annual Confidential Report's of last five years from the date, on which a Secretary completes the period required for level-III pay scale, the minimum qualifying marks for eligibility shall be 12;
  - (iii) in case maximum two Annual Confidential Report's out of the above mentioned five years are not available for any reason, then the Annual Confidential Report's of the two immediately

preceding years may be taken into consideration, but the Annual Confidential Report of the last two year of qualifying service period shall be mandatory;

(iv) a Secretary who is not found eligible as per the criteria mentioned in sub-rule (3) shall continue to function in the level-II pay scale until he acquires the eligibility, such Secretary, if found eligible by the Screening Committee in its next meeting shall be able to avail the benefit of level-III pay scale from the date of issuance of sanction order.

### (4) Screening Committee-

- (i) There shall be a Screening Committee comprising the following members to recommend level-II and level-III pay scale, as per criteria mentioned in sub-rule (2) and (3) -
  - Additional Chief Executive Officer, Chairperson
     Zila Panchayat (In absence of
     Additional Chief Executive Officer
     any other equivalent Officer
     nominated by the Chief Executive
     Officer, Zila Panchayat)
  - One Officer of Schedule Castes or Member Schedule Tribes category, not below the rank of Class-II (nominated by the Collector)
  - 3. Chief Executive Officer, Janpad Member-Panchayat (whose subordinate Secretary

Secretaries are to be considered for Pay Scale)

- (ii) the Screening Committee shall submit its recommendations to the Chief Executive Officer, Zila Panchayat, who shall issue the sanction order for level-II and level-III pay scale, as the case may be.
- (3) The meeting of the Screening Committee shall be held in the month of December every year.

# CHAPTER-III RECRUITMENT

### 6. Eligibility.-

### (1) A candidate-

- (a) whose educational qualifications and age is according to Schedule-III; and
- (b) who is a bonafied local resident of Madhya Pradesh;

shall be eligible for the post of Secretary, but-

- (i) a candidate who is having more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001;
- (ii) who got married before the minimum age fixed for marriage by the State Government;
- (iii) who has been convicted for an offence which involves moral turpitude;

- (iv) who has been declared bankrupt;
- (v) who has been declared mentally unsound;
- (vi) who is an employee of the Central or State
  Government or of any local authority or
  Central or State Government undertaking or
  any Government aided body, and does not
  submit No Objection Certificate of his
  employer, along with his application for
  recruitment;

shall not be eligible for the post of Secretary.

### 7. Reservation .-

- (1) The rules, notifications and instructions issued by the Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, regarding reservation prescribed for different categories of castes which are in force at that time, shall be applicable for the recruitment.
- (2) The roster of reservation for different categories of castes shall be maintained in the office of the Zila Panchayat.
- 8. Quota for Gram Rojgar Sahayaks.— Against the total number of vacant posts of Secretaries, 50% quota of vacant posts in each reserved category shall be kept reserved for recruitment from eligible Gram Rojgar Sahayaks and a Gram Rojgar Sahayaks—
  - (i) who is willing to be appointed as Secretary;

- (ii) who has successfully completed five years of service as Gram Rojgar Sahayaks, without any break in service;
- (iii) against whom no case or dispute is pending regarding his appointment and no penalty or recovery of any amount has been imposed;
- (iv) whose educational qualifications and age is according to Schedule-III;

shall be eligible for the post of Secretary.

- 9. Fulfillment of the quota of Gram Rojgar Sahayaks from other candidates. In case of non availability of required number of eligible candidates in any reserved category under the quota fixed for Gram Rojgar Sahayaks, remaining vacancies may be kept open and filled from other candidates who applied under rule 7 of the same category.
- 10. Eligibility test for Gram Rojgar Sahayaks.- It shall be mandatory to Gram Rojgar Sahayaks applying under quota mentioned in rule 9, to appear in eligibility test conducted by the Employees Selection Board, as per clause (iii) of subrule (1) of rule 12 and to go through other processes laid down in these rules, for recruitment.
- 11. Procedure. Procedure of recruitment to the post of Secretary shall be as follows:-
  - (1) Vacancies and Eligibility Test.- The recruitment shall be at District level, according to following procedure:-
    - (i) The Chief Executive Officers of the District Panchayats shall send the information of vacant

posts of Secretaries in their district, as on 1st January of the recruitment year, category wise according to roster, to the Directorate. This information shall be sent to the directorate by 10th January of the recruitment year, along with an indent addressed to the Employees Selection Board;

- (ii) The Directorate shall compile the information and indent received as per clause (i) of sub-rule (1) of rule 12 and forward it to the Employees Selection Board, till 15th January of the recruitment year. The Directorate shall also send a copy of these rules to the Employees Selection Board;
- (iii) The Employees Selection Board shall organize an eligibility test;
- (iv) On the basis of result of the eligibility test, district-wise and category-wise merit lists of eligible candidates shall be prepared by the Employees Selection Board. A waiting list of 15% of the number of vacant posts of the candidates shall also be prepared by the Employees Selection Board, as per merit list;
- (v) The Employees Selection Board shall furnish merit lists prepared according to clause (iv) of sub-rule (1) of rule 12 with other documents related to candidates to the Directorate. The Director shall forward these lists and documents

to the concerned Chief Executive Officer, Zila Panchayat:

Provided that immediately upon issuance of notification of these rules, the time lines for activities mentioned in sub-rule (1) of rule 12 shall be notified, for first time recruitment, by the State Government.

- (2) Scrutiny and Selection Committee -For Scrutiny of documents and merit list received from Directorate and for recommendation of candidates to be appointed, there shall be a Scrutiny and Selection Committee, in each district, consisting of the following-
  - (i) Chief Executive Officer, Zila **Chairman**Panchayat
  - (ii) A Deputy Collector or a Joint Member

    Collector or an Additional Collector
    nominated by the Collector
  - (iii) Additional Chief Executive Officer, Member
    Zila Panchayat (Panchayat and
    Rural Development Department), in
    his absence other Class-I Officer
    nominated by the Collector
  - (iv) One Officer of Scheduled Castes or Member-Scheduled Tribes category, not Secretary below the rank of Class-II Officer nominated by the Collector
- (3) Duties of Scrutiny and Selection Committee.- Duties of Scrutiny and Selection Committee shall be as follows:-

- (i) to Scrutinize documents and merit list received from directorate;
- (ii) to recommend candidates to be appointed;
- (iii) counseling of candidates, for appointment and posting in Gram Panchayats;
- (iv) to recommend the Gram Panchayat in which the selected candidate is to be posted;
- (v) if two or more candidates obtains equal marks in the eligibility test, the committee shall give priority to the candidate whose age is more than the other. If the age of the candidates is also same, priority shall be given to the candidate who has obtained more marks in Computer Proficiency Certification Test;
- (vi) the Committee shall not recommend the appointment or posting of any candidate, in his or her home town of the Gram Panchayat.

## 12. Appointment and posting.-

## (1) Appointment-

- (i) The Chief Executive Officer of Zila Panchayat shall be the Appointing Authority for the post of Secretary;
- (ii) The Chief Executive Officer of Zila Panchayat shall appoint the candidates selected and recommended by the Scrutiny and Selection Committee under sub-section (1) of section 69 of the Act.

- (2) **Posting-** The Chief Executive Officer of the Zila Panchayat shall post the candidates so appointed in the Gram Panchayat.
- (3) No candidate shall be posted in his home Gram Panchayat.

# CHAPTER-IV TRAINING

### 13. Training.-

- (1) It shall be mandatory for the Secretaries appointed under rule 13, to undergo an orientation and basic training related to Panchayat Service.
- (2) The orientation and basic training shall be organized by the Chief Executive Officer of the Zila Panchayat.
- (3) All Secretaries shall be required to attend refresher and other trainings organised by the State Government and the concerned Panchayat from time to time.

#### CHAPTER-V

### **POWERS AND FUNCTIONS**

14. Powers and Functions.- The Secretary shall exercise the powers and perform the functions specified in the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Powers and Functions of Secretary) Rules, 1999.

## **CHAPTER-VI**

#### DISCIPLINE AND CONTROL

- 15. Discipline.— The Madhya Pradesh Panchayat Service (Discipline and Appeal) Rules, 1999 shall be applicable to the Secretary.
- 16. Conduct. The Madhya Pradesh Panchayat Service (Conduct) Rules, 1998 shall be applicable to the Secretary.

#### 17. Control.-

- (1) The Secretary shall be accountable to the Gram Panchayat for his acts and deeds, and shall remain under administrative control of the Janpad Panchayat through its Chief Executive Officer.
- (2) Non compliance of valid resolution of the Gram Panchayat and valid order or instructions of the Chief Executive Officer of Janpad Panchayat or other senior Officers shall amount to misconduct of the Secretary.

#### **CHAPTER-VII**

# MAINTENANCE OF RECORDS AND CONDITIONS OF SERVICE

#### 18. Service book.-

(1) The service book and other personal service record of each Secretary shall be duly maintained and kept in the office of the Janpand Panchayat, which has the jurisdiction over the Gram Panchayat, where the Secretary is posted.

- (2) The service book and other personal service records of a Secretary shall contain in addition to other required information, the following information:-
  - (i) Name, designation, Mother's and Father's Name, Marital Status, Name of Spouse, Permanent Address and Address of Communication;
  - (ii) One latest passport size photo of the Secretary which shall be pasted in the service book. Other photos of the Secretary shall be pasted after completing 18 years of service and 12 months before the date of retirement:
  - (iii) Attested photocopies of certificates related to educational qualifications, date of birth, category of caste, Aadhar and Samagra-Id;
  - (iv) Particulars of the family with relation to each;
  - (v) Nomination of legal heirs;
  - (vi) Details of immovable property owned;
  - (vii) Information regarding type of disability and attested photocopy of the certificate, if the Secretary is differently abled;
  - (viii) Name of home town of the Gram Panchayat;
  - (ix) Medical Examination Certificate;
  - (x) Character Certificate and antecedents;
  - (xi) Account of leave;
  - (xii) Record of Contributory Pension Scheme.

### 19. Gradation List.~

- (1) A Gradation list shall be maintained in which the names of Secretaries shall be arranged in order of seniority.
- (2) The gradation list shall be maintained in the office of the Zila Pannchayat.
- (3) The Chief Executive Officer of the Zila Panchayat shall publish the gradation list of the Secretaries posted in their District, every year on 1st April in the format prescribed by the Director.
- 20. Leave.- Under these rules any candidate recruited or appointed as a Secretary shall be eligible for availing leave as mentioned below:-

## (1) Casual Leave.-

- the Secretary shall be entitled for casual leave of thirteen days during a calendar year;
- (ii) the female Secretary shall be entitled for casual leave of twenty days during a calendar year;
- (iii) the competent authority to sanction casual leave shall be the Sarpanch of the Gram Panchayat in which Secretary is posted;
- (iv) the leave may not be claimed as a right. The competent authority may reject or cancel the leave at any time if he thinks necessary in public interest;
- (v) a copy of the application of casual leave shall be given by the Secretary to the concerned Janpad Panchayat.

### (2) Other leave.-

- (i) Any candidate appointed as a Secretary shall be eligible to avail the leave as per the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977;
- (ii) leave upto 30 days at a time and upto 45 days in a calendar year shall be sanctioned by the Chief Executive Officer of the Janpad Panchayat;
- (iii) leave beyond 30 days at a time and over 45 days in a calendar year shall be sanctioned by the Chief Executive Officer of Zila Panchayat, on the recommendation of the Chief Executive Officer of the Janpad Panchayat;
- (iv) application for leave mentioned in clause (ii) and (iii) of sub-rule (2) of rule 20 shall be presented to the Gram Panchayat, addressing to the Chief Executive Officer of Janpad Panchayat or the Chief Executive Officer of Zila Panchayat as the case may be. The Gram Panchayat shall forward the application to the Chief Executive Officer, Janpad Panchayat for further action.

## 21. Annual Confidential Report.-

- (1) The Annual Confidential Report shall be prepared for the assessment of the performance, conduct and other attributes of the Secretary.
- (2) Performance of a Secretary shall be assessed annually and this assessment shall be a part of his Annual Confidential Report.

- (3) Annual Confidential Report of a Secretary shall be written every year based on his performance.
- (4) When a Secretary has been posted in more than one Gram Panchayat in a financial year, then the evaluation for the Annual Confidential Report shall be done on the basis of his performance in each Gram Panchayat in which he has been posted for more than three months.
- (5) The process and time schedule for preparation of Annual Confidential Report shall be as specified in Schedule-IV.
- (6) The Annual Confidential Report shall be written in the form appended to these rules.

## 22. Resignation.- The Secretary may resign from his post by:-

- (i) giving one month's prior notice to the Chief Executive
  Officer of the Zila Panchayat; or
- (ii) by depositing one month's salary in the relevant head.

  In both the conditions mentioned above he has to inform to the Chief Executive Officer of the Zila Panchayat

about his wish of resignation in writing.

## 23. Superannuation.-

- (1) The age of superannuation of the Secretary shall be sixty two years.
- (2) Every Secretary shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty two years:

Provided that a Secretary whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty two years.

24. Alternative arrangement in case of vacancy of post of Secretary.- If there is any such Gram Panchayat, where the post of Secretary is vacant, the category of such vacant post may be given to the Assistant Secretary of the same Gram Panchayat appointed under sub-section (1) of section 69, but if the population of such Gram Panchayat is 5000 or more, then the charge of the vacant post may be given to the Panchayat Co-ordination Officer under whose jurisdiction such Gram Panchayat falls.

# CHAPTER-VIII MISCELLANEOUS

- 25. Prevalence of powers of the State Government.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of State Government to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.
- 26. Interpretation.-If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.
- 27. Repeal and saving.-The Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2011 are hereby repealed:

Provided that any order issued or any action taken under the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2011 so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

## SCHEDULE - I

[see rule 4(1)]

## **Number of Posts**

S. No.	Name of the District	Number of Posts
(1)	(2)	(3)
1.	Agar Malwa	236
2.	Alirajpur	288
3.	Anuppur	277
4.	Ashok Nagar	328
5.	Balaghat	690
6.	Badwani	409
7.	Betul	534
8.	Bhind	439
9.	Bhopal	222
10.	Burhanpur	167
11.	Chhatarpur	559
12.	Chhindwara	790
13.	Damoh	460
14.	Datia	290
15.	Dewas	496
16.	Dhar	763
17.	Dindori	364
18.	Guna	419
19.	Gwalior	421
20.	Harda	263
21.	Indore	220
22.	Jabalpur	334
23.	Jhabua	527
24.	Katni	375
25.	Khandwa	407
26.	Khargone	589
27.	Mandla	490
28.	Mandsaur	468
29.	Morena	476
30.	Narmadapuram	427

S. No.	Name of the District	Number of Posts (3)	
(1)	(2)		
31.	Narsingpur	450	
32.	Neemuch	243	
33.	Niwari	136	
34.	Panna	386	
35.	Raisen	521	
36.	Rajgarh	622	
37.	Ratlam	419	
38.	Rewa	820	
39.	Sagar	765	
40.	Satna	695	
41.	Sehore	542	
42.	Seoni	635	
43.	Shahdol	390	
44.	Shajapur	352	
45.	Sheopur	236	
46.	Shivpuri	587	
47.	Sidhi	400	
48.	Singrauli	316	
49.	Tikamgarh	324	
50.	Ujjain	609	
51.	Umariya	236	
52.	Vidisha	577	
Total		23011	

### SCHEDULE - III

## [see rule 6(1)(i)] Educational Qualification and Age

S. No.	Post	Educational Qualification	Age
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Secretary, Gram Panchayat	(a) (i)Bachelor's Degree from a recognized University (ii) Qualified in Computer Proficiency and Hindi Typing in CPCT.  (b) If the candidate has been appointed to the post of GRS before enforcement of these rules - (i) Higher Secondary (10+2) passed from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, and;  (ii) Qualified in Computer Proficiency and Hindi Typing in CPCT.	(a) Between 21 years to 35 years on 1st January of the recruitment year.  Relaxation in age limit for the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, person with disability and women candidates shall be as per notifications/ rules
11.		(c) If the candidate	
		has been appointed to the post of GRS after enforcement of these rules - (i) Bachelor's Degree from any recognized University (ii) Qualified in Computer Proficiency and Hindi Typing in CPCT.	

## SCHEDULE - IV

[see rule 21(5)]

## Process and time schedule for preparation of ACR

S. No.	Nature of Action	Date by which to be completed for Financial Year (1st April to 31st March)
(1)	(2)	(3)
1,	Distribution of Blank ACR Forms to all Secretaries	30 <sup>th</sup> April
2,	Submission of self- appraisal to reporting authority by the Secretary	30 <sup>th</sup> June
3.	Submission of Report by reporting authority to reviewing authority	31 <sup>st</sup> August
4.	Submission of Report by reviewing authority to sanctioning authority	30th September
5	Comments of the sanctioning authority	30 <sup>th</sup> November

#### **FORM**

[see rule 21(6)]

Annual Confidential Report of the Gram Panchayat Secretary
For the year ending onmonthyear
***************************************

#### Part - One

## (Self-Evaluation by the Gram Panchayat Secretary)

- 1. Name:
- 2. Designation:
- 3. Name of the Gram Panchayat:
- 4. Period of tenure in the financial year:
- 5. Name of the Janpad Panchayat:
- 6. Fixed salary/pay scale:
- 7. Financial progress of the Gram Panchayat:

Allotment Expenditure Percentage of expenditure
Received against Allotment
Received (1) (2) (3)

8. Scheme-wise targets and achievements set for the Gram Panchayat -

			(Amount II	racs rupees
Name of the scheme	Physical target	Achievement	Financial target	Achievement
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1	
	the scheme	the target scheme	the target scheme	Name of Physical Achievement Financial target scheme

9. Status of taxation and collection of taxes -
(i). Property Tax -
Targeted Income from Property Tax (Rs.)
Income earned (Rs.)
(ii) Other Taxes imposed (Mention the name of taxes along with
details of target and income earned)-
1
1
10. Meetings of the Gram Panchayat-
Whether the meetings are called every month or as per sub-
section (4) of section 44 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj
Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994)
11. Audit of Gram Panchayat accounts -
(i) Whether audit of last financial year has been completed? - Yes

- / No
- (ii) Whether audit of last financial year has been completed on the prescribed date or within the prescribed period? Yes / No
- (iii) Audit of last financial year has not been completed on the prescribed date or within the prescribed period. Reason for not doing so-

•••••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			***************************************
(iv) I	Date o	of completion o	f audit	
12.	Stat	us of Gram Par	nchayat budget-	
	(1)	Whether the toon time? -	oudget has been prepare	d and presented
	(2)	report of the the Gram Pa date as per M	annual accounts and Gram Panchayat has be nchayat for approval b ladhya Pradesh Gram Pa Administration Report)	een placed before y the prescribed anchayat (Annual
	(3)	Whether the annual accounts and administration report has been placed in the annual conference of the Gram Sabha? —		
	(4)	report has be	annual accounts and en presented to the pre encerned Janpad Pan te? -	scribed authority
	Brief	-	extraordinary or notable	work / award
obje	ctives		of Part-I, then note on it	
			Name and signature of the Secretary	Janpad Panchayat
Date	······		Gram Panchayat PART-II	District

(Comments of the Reporting Authority / Sarpanch)

<ol> <li>Note regarding consent on Part-I filled by the Secretary:</li> <li>Personality and behavior:</li> <li>Relationship with the general public:</li> <li>Relationship with office holders and Panchayat servants / functionaries:</li> <li>Knowledge of computer:</li> <li>Efforts made for quorum for the meeting of Gram Sabha:</li> <li>Note regarding regular and timely submission of information and reports sought by the senior officer:</li> </ol>
8. Integrity:
9. Grading: - Excellent (A+) / Very good (A) / Good (B) / Average (C) / Below average (D)  (Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such grading should also be clearly stated)
(C) / Below average (D)  (Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such
(Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such grading should also be clearly stated)  Place
(Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such grading should also be clearly stated)  Place
(Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such grading should also be clearly stated)  Place
(Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such grading should also be clearly stated)  Place
(Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such grading should also be clearly stated)  Place  Signature  Name
(Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such grading should also be clearly stated)  Place  Signature  Name
(Excellent grading should not be done unless exceptional qualities and performance are observed, the basis for such grading should also be clearly stated)  Place

#### PART- III

(Reviewing Authority / Chief Executive Officer, Janpad Panchayat's note)

Place Date:	
N	Signature  Same of the Chief Executive Officer,  Sanpad Panchyat
	CSI
	PART-IV
	y/Chief Comment of Executive Officer, District Panchayat)
	1
Place Date	**********
W.	Signature  Name of the Chief Executive Officer
	District Panchayat
	By order and in the name of the Governor of Madhya Prac

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, HRADAYESH KUMAR SHRIVASTAVA, Dy. Secy.